न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/06/2021	2021/12	02–02–2021	26–04–2022

1– गंगाधर पुत्र कान्हा जाति मीणा निवासी ग्राम बीघोता तहसील राजगढ जिला अलवर।

अपीलाण्ट

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ जिला अलवर।

असल रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार राजगढ दिनांक 26.10.2020 प्रकरण संख्या 96/2020 अन्तर्गत राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

उपस्थितः–

01. श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता –वकील अपीलाण्ट

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 26.10.2020 प्रकरण संख्या 96/2020 जिसके द्वारा संवत 2077 में ग्राम बीघोता की आराजी खसरा न0 728 रकबा 0.10, 729 रकबा 0.37, 731 रकबा 5.18 किता–3 कुल रकबा 5.65 किस्म चारागाह में से अतिक्रमित रकबा 0.10, 0.37, 0.40 कुल रकबा 0.87 है0 में बाजरे की फसल काश्त किये जाने पर बेदखली की कार्यवाही/पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए 01 माह के सिविल कारावास के दण्ड/पैनल्टी कायम किये जाने से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम बीघोता बिस्वेदारी का ग्राम था। विवादित आराजी विजयसिंह एवं कल्याण सिंह बिस्वेदारी की पट्टी में थी। आराजी विवादित का तत्कालीन बिस्वेदार विजयसिंह ने अपीलान्ट के पिता को जुबानी काश्त करने के लिए बताई थी। अपीलान्ट के पिता कान्हा बिस्वेदार का काश्तकार था। बिस्वेदारी समाप्त होने तक अपीलान्ट के पिता ने विजयसिंह बिस्वेंदार को लगान अदा किया था। बिस्वेदारी की आराजी का काश्तकार होने के कारण कानूनन अपीलान्ट का पिता जप्ती बिस्वेदारी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार हो गया। अपीलान्ट के पिता ने आराजी साबिक खसरा न0 43 रकबा 25 बीघा 05 बिस्वा, 753 रकबा 119 बीघा 15 बिस्वा जिसके

26/04/2022
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

बन्दोबस्त सम्वत 2046 में आराजी हाल खसरा न0 850 रकबा 1.80 है0, 733 रकबा 0.38 है0, 731 रकबा 5.18 है0, 728 रकबा 0.10 है0, 729 रकबा 0.37 है0 कायम हुए। अपीलान्ट के पिता ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ के न्यायालय में एक राजस्व वाद संख्या 01/48 दायरा दिनाक 18.02.1997 बउनवान कान्हा पुत्र मूल्या वादी बनाम राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर, तहसीलदार राजगढ के विरूद्व बावत इस्तकरारहक व हुक्मईम्तनाईदवामी का दायर किया था की आराजी हाल खसरा न0 729 रकबा 0.36 है0, 731 रकबा 5.18 है0 में से 25 ऐयर, 550/2480 रकबा 1 है0, 850 रकबा 1.80 है0, 730 रकबा 0.5 है0 का दायर किया और दिनाक 20.03.2001 को अपीलान्ट के पिता का वाद आंशिक रूप से इस आशय डिक्री किया गया कि वादी आराजी खसरा न0 729 रकबा 0.37 है0, 731 रकबा 0.25 है0 तरफ उत्तर, 550/2480 रकबा 1.00 है0, 850 रकबा 1.80 है0, 730 रकबा 0.05 वाके ग्राम बीघोता का पुराना कब्जेदार है। अतः प्रतिवादी उसे वेदखली की कार्यवाही न करे। विवादित आराजी चारागाह आराजी नही है। ग्राम बीघोता बिस्वेदारी का ग्राम था। सम्वत 2020 में बन्दोबस्त होने पर इसे गलत प्रकार से चारागाह दर्ज कर दिया गया था, जबकि यह आराजी बिस्वेदारी की आराजी थी और जमीदारी बिस्वेदारी अबोलिशन एक्ट जब प्रभाव में आया तो अपीलान्ट के पिता का कब्जा काश्त था। वे बिस्वेदार को लगान अदा करते थे। इस कारण अपीलान्ट का पिता विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार हो गया अपीलान्ट के पिता का कब्जा बिस्वेदारी के समय से ही चला आ रहा है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा पारित निर्णय दिनाक 20.03.2001 की प्रतिवादीगण द्वारा कोई अपील नही की गयी है और यह निर्णय नातिक है। उक्त निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार को अपीलान्ट को बेदखल करने का कोई अधिकार नही था। वाद ग्रस्त आराजी में अपीलान्ट द्वारा मेहनत करके मकान का निर्माण किया हुआ है और इसमें पशु बांधता है और इसमें रिहायश भी कर रखी है। अपीलान्ट के पिता को नायब तहसीलदार राजगढ द्वारा दिनाक 25.07.1990 को आंवटन एंव नियमन की सिफारिश की गयी है। आराजी खसरा न0 730 में उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा 0.1 है0 कुए के लिये आंवटन की गयी है। इस प्रकार प्रतिवादीगण को मिन अपीलान्ट के विरूद्व बेदखली की कार्यवाही नही करनी चाहिए थी। अपील स्वीकार फरमायी जाकर आलौच्य आदेश निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है।

अपीलान्ट द्वारा अपील करने में हुए विलम्ब को माफ किए जाने हेतु दफा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दफा 05 कानून मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अतः तथ्यों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दफा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

वकील अपीलान्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन एवं मनन किया गया। अपील में अपीलान्ट द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया है कि ग्राम बीघोता बिस्वेदारी का ग्राम था और विवादित आराजी विजयसिंह, कल्याण सिंह बिस्वेदारी की पट्टी में थी। आराजी विवादित का तत्कालीन बिस्वेदार विजयसिंह ने अपीलान्ट के पिता को जुबानी

26/04/2022
अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

काश्त करने के लिए बताई थी। अपीलान्ट के पिता कान्हा बिस्वेदार का काश्तकार था। बिस्वेदारी समाप्त होने तक अपीलान्ट के पिता ने विजयसिंह बिस्वेदार को लगान अदा किया था और बिस्वेदारी की आराजी का काश्तकार होने के कारण कानूनन अपीलान्ट का पिता जप्ती बिस्वेदारी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार हो गया। अपीलान्ट के पिता ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ के न्यायालय में एक राजस्व वाद संख्या 01/48 दायरा दिनाक 18.02.1997 बअनुवान कान्हा पुत्र मूल्या वादी बनाम राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर, तहसीलदार राजगढ के विरूद्व दायर किया था और दिनांक 20.03.2001 को अपीलान्ट के पिता का वाद आंशिक रूप से इस कदर डिक्री किया गया है कि वादी आराजी खसरा न0 729 रकबा 0.37 है0, 731 रकबा 0.25 है0 तरफ, 550/2480 रकबा 1.00 है0, 850 रकबा 1.80 है0, 730 रकबा 0.05 वाके ग्राम बीघोता का पुराना कब्जेदार है। अतः प्रतिवादी उसे बेदखली की कार्यवाही न करे।

तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया। संवत 2077 में ग्राम बीघोता की आराजी खसरा न0 728 रकबा 0.10, 729 रकबा 0.37, 731 रकबा 5.18 किता–3 कुल रकबा 5.65 किस्म चारागाह में से 0.10, 0.37, 0.40 कुल रकबा 0.87 है0 में बाजरे की फसल काश्त किये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट पेश की गयी। प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर विधिवत कार्यवाही कर न्यायालय तहसीलदार राजगढ द्वारा निर्णय दिनांक 26.10.2020 को पारित किया गया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा जारी डिक्री दिनांक 20.03.2001 का अमल राजस्व रिकॉर्ड में आदिनांक तक नहीं हुआ है। मौके पर आदिनांक तक राजस्व रिकॉर्ड में प्रश्नगत आराजी चारागाह दर्ज है। जिस पर पटवारी ग्राम बीघोता की रिपोर्ट दिनांक 06.08.2020 द्वारा अतिक्रमण किया जाना सिद्व होता है। वकील अपीलान्ट की बहस एवं पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजों के अवलोकन एवं चिन्तन–मनन के उपरान्त अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। प्रकरण में जारी स्थगन आदेश दिनाक 02.02.2021 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकॉर्ड के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/04/2022

(वंदना खोरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)